माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका

प्रिय,

प्राचार्य / प्राचार्या,

क्रमांक 65 /प.स./2014
भोपाल दिनांक 10 /06/14

शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए मण्डल की ओर से आपको शुभकामनाऐं। मण्डल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश/परीक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख/प्राचार्य का होता है। सत्र 2013–14 में ऑनलाईन प्रक्रियों से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लगभग 17,74,000 छात्रों एवं ऑफलाइन प्रक्रियों से केवल 24000 परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये। ऑनलाईन फार्म भरे जाने के कारण त्रुटियों में कमी हुई, और विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव होने के बावजूद परीक्षा परिणाम भी मई माह के द्वितीय सप्ताह में ही घोषित किये जा सके। इसे दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2014–15 में भी परीक्षा आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन किए जाने का निर्णय लिया गया है। सभी मान्यता प्राप्त संस्था प्राचार्यों का दायित्व है कि वे मण्डल नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन करे, नियमों के अतंर्गत संस्था में प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षा आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करे। मण्डल की परीक्षाओं हेतु प्रवेशित छात्रों की प्रवेश सूची ऑनलाईन जमा की जाना है। इस हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :-

1	प्रवेश एवं प्रवेश सूची जमा करने की तिथि व प्रक्रिया	मण्डल से संबंधता प्राप्त संस्था प्राचार्य अपनी संस्था में कक्षा 9वीं,10वी,11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में प्रवेश की समस्त प्रक्रिया अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व पूर्ण कर लें। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेशित छात्रों की प्रवेश सूची ऑनलाईन दिनांक 12 अगस्त तक प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन प्रवेश सूची संस्था प्राचार्य 01 जुलाई से जमा करना प्रारंभ कर सकते है। प्रवेश सूची ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है– **(1) कक्षा 9वी की प्रवेश सूची–** सत्र 2014–15 में कक्षा 9वी में ऑनलाईन नामांकित छात्रों की समस्त प्रविष्टी को ही विद्यालय विशेष की कक्षा 9वीं प्रवेश सूची मानी जावेगी। संस्था की कक्षा 9वी में प्रवेशित छात्रों की 01 जुलाई 2014 से 12 अगस्त 2014 तक ऑनलाईन नामांकन कार्यवाही की जा सकेगी। **(2) कक्षा 10वीं की प्रवेश सूची** –समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2014–15 में कक्षा 10वीं में प्रवेशित, छात्रों की सत्र 2013–14 में कक्षा 9वीं के नामॉकित छात्रों की सूची एम पी ऑनलाईन कियोस्क/पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कक्षा 9वीं के नामॉकित जिन छात्रों को कक्षा 10वीं में प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं प्रवेश सूची हेतु नामांकन क्रमांक पृविष्ट कर, ऑनलाईन किया जाएगा। जो छात्र कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण हुए है अथवा शाला छोड़ कर जा चुके हैं, उनका ऑनलाइन चयन कक्षा 10वीं की प्रवेश सूची हेतु नही किया जाए। किसी अन्य शाला से कक्षा 9वीं उत्तीर्ण छात्र यदि दूसरे विद्यालय में कक्षा 10वीं में सीधा प्रवेश लेते है, तो ऐसे छात्रों के पूर्व संस्था के माध्यम से आवंटित नामांकन क्रमांक की प्रविष्टी करते हुए अपनी शाला की प्रवेश सूची में जोडा जा सकता है। अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 10वीं में प्रवेशित छात्रों की ग्राहयता संभागीय कार्यालय में की जाएगी। ग्राहयता प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टी उपरांत ऐसे समस्त छात्र संबधित शाला की प्रवेश सूची में जुड जाएगें। यदि किसी छात्र का कक्षा 9वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है तो, ऐसे छात्रों को कक्षा 10वीं में प्रवेश देते हुये संबंधित संस्था प्रथमतः नामांकन शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क संभागीय कार्यालय में तथा संपूर्ण संस्था के छात्रों के नामांकन कियोस्क सेन्टर पर ₹20/–प्रति छात्र विलम्ब शुल्क जमाकर दिनांक 01 जुलाई 2014 से 12 अगस्त 2014 तक ऑनलाईन नामांकन क्रमांक प्राप्त किया जा सकेगा। नामांकन क्रमांक प्राप्त होने के उपरान्त ही ऐसे छात्रों के नाम प्रवेश सूची में जोड़े जा सकेंगे। **(3) कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची**–समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2014–15 में प्रवेशित कक्षा 11वीं के लिए सत्र 2012–13 एवं 2013–14 में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों की सूची एम पी ऑनलाईन कियोस्क/पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कक्षा 11वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनम्बर के आधार पर कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची हेतु ऑनलाईन किया जाएगा। अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 11वीं में प्रवेशित छात्रों की ग्राहयता संभागीय कार्यालय में की जाएगी। ग्राहयता प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टी उपरांत ऐसे समस्त छात्र संबधित शाला की प्रवेश सूची स्वतः जुड जाएगें। **(4) कक्षा 12वीं की प्रवेश सूची** –समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2014–15 में कक्षा 12 वीं के लिए प्रवेशित सत्र 2011–12 एवं 2012–13 में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों तथा 2013–14 में कक्षा 12वीं नियमित अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची एम पी ऑनलाईन कियोस्क/पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध होगी। कक्षा 12वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया

		है, उनका चयन कक्षा 10वीं के रोलनंबंर के आधार पर कक्षा 12वीं की प्रवेश सूची हेतु ऑनलाईन किया जाएगा। संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि सत्र 2012–13 अथवा 2013–14 में कक्षा 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश देकर प्रवेश सूची में नाम प्रविष्ट करें। ऐसे छात्र जो सत्र 2012–13 अथवा 2013–14 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुआ हो, वे बिना विषय परिवर्तन किये श्रेणी सुधार के लिये प्रवेश सूची में नाम दर्ज कर सकता है। किन्तु ऐसे छात्रों के लिये प्राचार्य का दायित्व होगा कि दोनो वर्षों में से छात्र केवल एक ही बार श्रेणी सुधार की सुविधा का लाभ ले। सत्र 2013–14 में कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण अथवा श्रेणी सुधार के रूप में प्रवेशित छात्रों का चयन कक्षा 12वी के रोलनम्बर के आधार पर किया जा सकेगा। अन्य मण्डलों से सीधे कक्षा 12वीं में प्रवेशित छात्रों की ग्राहयता संभागीय कार्यालय में की जाएगी। ग्राहयता प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टी उपरांत ऐसे समस्त छात्र संबधित शाला की प्रवेश सूची में स्वतः जुड जाएगें।
2	**परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश**	नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 25 अगस्त 2014 से 30 सितम्बर 2014 तक भरे जा सकेगे। इस वर्ष मेन्युअल आवेदन पत्र नही भरवाये जाएगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र निकटस्थ एम पी ऑन लाईन के अधिकृत किसी भी कियोस्क पर जाकर निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जेस का नगद भुगतान करते हुए भरे जा सकते है। एम पी ऑन लाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in से क्रेडिट कार्ड से शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है। संस्था प्राचार्य/अग्रेषण संस्था प्राचार्य निकटस्थ कियोस्क पर जाकर प्रविष्टि करायेंगे। किसी भी स्थिति में छात्र को कियोस्क पर नहीं भेजा जाए। छात्र का डिजिटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो ग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए। इसी फोटो का कियोस्क पर स्केन कराया जावे। संस्था में प्रवेशित छात्र जिनकी ऑनलाईन प्रवेश सूची निर्धारित समयावधि में जमा की गई है, उन छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि तक भरे जा सकेगे। इसके पश्चात् रह गये छात्रों के परीक्षा आवेदन–पत्र 31 जनवरी 2015 तक परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ₹2000/– विलम्ब शुल्क के साथ तथा इसके पश्चात् भी रह गये छात्र 15 फरवरी 2015 तक ₹5000/–विशेष विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, किन्तु ऐसे छात्रों के नाम प्रवेश सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। इन तिथियों के पश्चात् कोई भी आवेदन–पत्र मान्य नहीं किये जावेगे।
3	**पूरक प्राप्त छात्र के निर्देश** (विनियम 139)	वर्ष 2014 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित छात्र जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नही हुआ है उन्हे वर्तमान कक्षा में प्रावधिक (PROVISIONAL) प्रवेश की पात्रता रहेगी। ऐसे छात्रों का नाम उसी कक्षा की प्रवेश सूची में नाम दर्ज किया जावे। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर पात्रतानुसार कक्षा में प्रवेश स्थानांतरित किया जा सकेगा।
4	**विषय/माध्यम का चयन एवं परिवर्तन** (विनियम 207)	कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किया जाए। कक्षा 12वीं में डायवर्सीफाईड समूह में विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें। पाठ्यकम का भली–भॉति अध्ययन कर छात्रों से विषय चयन करावें। ऑनलाईन आवेदन करते समय विषय कोड लिस्ट से जांच कर विषय कोड भरा जावे। चयनित विषय/माध्यम में परिवर्तन निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 31.12.2014 तक किया जा सकेगा।
5	**अन्य राज्य/ मण्डलों के छात्रों का म.प्र. के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश** (विनियम 122)	(1) समकक्षता प्राप्त अन्य राज्य बोर्ड के छात्र क्रमशः 8वीं 9वीं. 10वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2014 में उत्तीण/अनुत्तीण अथवा वर्ष 2014 कक्षा 12वीं अनुत्तीण हो, यथास्थिति कक्षा 9वीं. 10वीं. 11वीं एवं 12वीं कक्षा में सीधे अस्थाई प्रवेश ले सकेगें, किन्तु मूल प्रमाणित छायाप्रति पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। ऐसे छात्रों के प्रवेश संबंधी पात्रता अभिलेख एवं ग्राह्यता शुल्क सहित प्राचार्य के माध्यम से प्रवेश सूची जमा करने के साथ दिनांक 31.07.2014 तक जमा करना होगा, तथा इन छात्रों के परीक्षा आवेदन जमा करने के पूर्व नामांकन क्रमांक एवं ग्राह्यता संभागीय कार्यालय से दिनांक 12.08.14 तक कराना अनिवार्य होगा। संबंधित संभागीय अधिकारी अन्य बोर्ड की अंकसूचियों का सत्यापन संबंधित बोर्ड से करावेंगे तथा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अन्य मण्डलों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की अंकसूचियों की प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित छात्र के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा। जो छात्र अन्य राज्यों के मंडलों एवं मध्य प्रदेश के अन्य मंडलो से निर्धारित प्रवेश तिथि 31.07.2014 के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करतें है, उन्हे सत्र् में आगामी कक्षा में प्रवेश की पात्रता नही रहेगी। अन्य बोर्ड के छात्रों को प्रवेश देने के उपरांत निम्न दस्तावेज मूल व प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर, समन्वयक संस्था/संभागीय कार्यालय में निर्धारित तिथि में जमा करे –

		1 ग्राहयता आवेदन (निर्धारित प्रारूप में) 2 अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची 3 प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टि. एवं माईग्रेशन 4 नामांकन संबंधी कार्यवाही(निर्धारित अवधि में) (2) CBSE बोर्ड की वर्ष 2014 में कक्षा 10वीं की स्थानीय परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्रों को नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
6	प्रवेश लेने हेतु अर्हकारी परीक्षा	(1)किसी भी छात्र को मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 9वीं. 10वीं .11वीं एवं 12वीं में प्रवेश लेना है, तो उसे यथास्थिति कक्षा 8वी. 9वीं. 10वीं अथवा 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा वर्ष 2014 में कक्षा 9वीं. 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अनुत्तीर्ण छात्र भी नियमित प्रवेश के लिए पात्र होगें। (2) कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के परीक्षा आवेदन (ऑनलाइन के कियोस्क सेन्टर से प्राप्त आवेदन की छाया प्रति) के साथ पात्रता की जांच हेतु डाक्युमेंट संलग्न किया जाना अनिवार्य है। पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न नही होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा। अपात्र पाये जाने पर आवेदन अमान्य किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। सस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि वे प्रवेश देने के समय ही छात्रों के डाक्युमेंट की जांच पूर्व में ही कर ले, तथा छात्रों को नियमित प्रवेश दे अथवा पात्रतानुसार स्वाध्यायी आवेदन भरने के दिशा निर्देश दे। (3) नियमानुसार कोई भी परीक्षार्थी एक ही वर्ष में दो विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता है।
7	श्रेणी सुधार के लिए प्रवेश लेने हेतु निर्देश (विनियम 212)	(1) नियमित छात्र के रूप में श्रेणी सुधार/अंक सुधार हेतु सत्र 2012-13 एवं 2013-14 में उत्तीर्ण छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा। इसमें विषय परिवर्तन का लाभ नही दिया जावेगा। (2) श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने वाले छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं में हायर सेकेण्डरी परीक्षा के अंकों के अधिभार को दृष्टिगत रखते हुए मंडल की परीक्षा समिति में हुए निर्णयानुसार 01 अंक की वृद्धि होने अथवा श्रेणी परिवर्तन होने पर ही नवीन परीक्षाफल तैयार किया जावेगा, तथा पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त होने पर नवीन अंक सूची प्रदाय की जावेगी। (3) श्रेणी सुधार का लाभ अन्य राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को नही दिया जावेगा।
8	अतिरिक्त विषय चयन	अतिरिक्त विषय का चयन मण्डल की कक्षा 12वीं परीक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार किसी भी एक विषय (जो मुख्य विषय में चयन नहीं किया गया हो) के रूप में लिया जा सकता है।
9	नामांकन (विनियम 1994)	(1) मण्डल की समस्त सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेशित ऐसे छात्र जिनका पूर्व में नामांकन नही हुआ है एवं अन्य बोर्ड/राज्यों के छात्र के नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज मण्डल के संभागीय कार्यालय से दिनांक 31.07.2014 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। (2) कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेशित छात्रों के नामांकन ऑनलाइन किया जाएगा। नामांकन की प्रविष्टी कियोस्क पर कराते समय छात्र की जानकारी सावधानी से त्रुटि रहित भरे जावे। ऑनलाइन नामांकन दिनांक 01.07.14 से 12.08.14 तक निर्धारित है। कियोस्क संचालक को प्रति छात्र ₹20/- पृथक से देय होगा। (3) कक्षा 9वीं, 10वी, 11वीं एवं 12वीं में अनामांकित छात्रों के लिये नामांकन क्रमांक आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:- (अ) कक्षा 9वीं के लिये A-14/संस्था कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ। (ब) कक्षा 10वीं के लिये B-14/संस्था कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ। (स) कक्षा 11वीं के लिये C-14/संस्था कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ। (द) कक्षा 12वीं के लिये D-14/संस्था कोड/क्रमांक 001 से प्रारम्भ।
10	अध्ययन अन्तराल	कक्षा 8वीं एवं 10वीं में उत्तीर्ण छात्र क्रमशः कक्षा 9वीं एवं 11वीं में नियमित प्रवेश के लिये अध्ययन अंतराल एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिये। लगातार दो वर्ष का अन्तराल अथवा दो वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। ऐसे छात्र मण्डल की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।
11	नियमित छात्रों की उपस्थिति (विनियम 208, 209, 210)	मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। छात्र की 75% से कम उपस्थिति होने पर मण्डल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त म.प्र. में राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र/छात्रओं को बोर्ड परीक्षाओं में 60 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि छात्र/ छात्राओं को यह अवधि खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित कुल वास्तविक दिनों के उपस्थिति दिवस के रूप में मान्य की

P.T.O

		जावेगी। कमी उपस्थिति वाले छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त होने पर एवं अतिरिक्त शुल्क ₹20/–अदा करने पर स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें। ऐसे छात्रों की सूची रोल नम्बर सह संस्था प्राचार्य दिनांक 20.02.15 तक मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करेगें।	
12	**नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत**	(1) नेत्रहीन, मूक ,बधिर, स्पास्टिक सेरेब्रिल–पॉलसी (मानसिक रूप से विकलांग) से पीडित परीक्षार्थी। (C.M.O. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण)	सम्पूर्ण शुल्क से छूट
		(2) मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण –संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्यप्रदेश के शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियां परीक्षार्थी। (प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी)	संपूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
		(3) मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियां परीक्षार्थी। (प्रमााणीकरण–मण्डल मुख्यालय एवं संबंधित संभागीय अधिकारी)	संपूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
		(4) मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की पुत्रियां परीक्षार्थिनी। प्रमाणीकरण–जिला शिक्षा अधिकारी	अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।
		(5) महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹15,000/–से अधिक नहीं है। (प्रमाणीकरण–कार्यपालन अधिकारी अथवा रेवेन्यु अधिकारी)	अर्द्धपरीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।
		(6) (i) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू1.00 लाख से अधिक नहीं है।	(i) केवल प्रथम अवसर केलिये सूपर्ण परीक्षा शुल्क छूट। आवेदन पत्र के मूल्य में छूट नहीं है।
		(ii) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 1,08 (एक लाख आठ हजार) से अधिक नहीं है।	(ii)सम्बन्धित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिए यह छूट रहेगी।
		<u>शुल्क प्रतिपुर्ति की प्रक्रिया</u> **(iii)** आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/शिक्षा–3/2013/2690 भोपाल दिनांक 12.07.13 के अनुसार कक्षा 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों का परीक्षा शुल्क शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त कर मण्डल को परीक्षा फार्म भरते समय भुगतान करेगें तथा अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की परीक्षा शुल्क नोडल संस्था क निकट की शासकीय संस्था के प्राचार्य से प्राप्त कर मंडल को जमा करेगें। **(iv) कक्षा 10वीं के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति** के छात्रों की परीक्षा शुल्क गतवर्षानुसार संबंधित विभाग से दी गई शुल्क छूट की राशि का भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	(**प्रमाणीकरण**–एस.डी.ओ. /सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, परियोजना प्रशासनअधिकारी (वृहत/माध्यम/लघु) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग)

13	शुल्क विवरण	(1) परीक्षा शुल्क (नियमित / स्वाध्यायी संपूर्ण विषय) (2) संपूर्ण विषयों के साथ (प्रति अतिरिक्त विषय) हेतु (3) केवल एक अतिरिक्त विषय हेतु (4) पूरक परीक्षा हेतु प्रति विषय (5) नामांकन शुल्क (9वी, 10वी, 11वी, 12वी, एवं डी.एड.) (6) हायर सेके. व्याव./डीएड परीक्षा द्वितीय अवसर (7) ग्राहयता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु) (8) परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क (9) विषय / माध्यम / संकाय परिवर्तन (प्रति विषय) शुल्क (10) स्वाध्यायी छात्रों की पात्रता जांच करने हेतु अग्रेषणकर्ता अधिकारी को देय शुल्क (11) एम पी ऑन लाईन के सेवा केन्द्र संचालक को देय शुल्क (नियमित / स्वाध्यायी)	500/- 200/- 200/- 250/- 150/- 250/- 300/- 200/- 200/- 25/- 20/-
14	प्रायोगिक परीक्षाएँ	नियमित परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षाएँ उनकी अध्ययनरत संस्थाओं पर सैद्धांतिक परीक्षाओं के दौरान आयोजित की जाएगी। इस हेतु बाह्मय परीक्षकों की नियुक्ति दिनांक 01.02.2015 से 28.02.2015 तक अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जावें।	
15	परीक्षा केन्द्र का निर्धारण	एम सी सी क्रमांक –203/2001 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2001 के अनुसार जिला योजना समिति से अनुमोदित परीक्षा केन्द्रों के प्रस्ताव दिनांक 30 नवम्बर तक मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।	
16	अनुचित साधन (अधिनियम 1937)	माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में सामूहिक नकल/व्यक्तिगत नकल पूर्ण संकल्प एवं दृढता से रोकी जाना है। "मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षायें अधिनियम 1937" की धारा **"डी"** के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करता है अथवा करवाता है उसको तीन साल का कारावास अथवा पॉच हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। अतः छात्रों को इस दुष्प्रवृत्ति से दूर रहने हेतु प्रेरित करे। अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र एवं सामूहिक नकल परीक्षा केन्द्र पर प्रमाणित होने पर मण्डल ऐसे छात्रों की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त करने की कार्यवाही करेगा।	
17	परीक्षा शुल्क वापसी (विनियम 112)	ऐसे अभ्यार्थी की परीक्षा शुल्क किसी भी हालत मे वापस नहीं होगी, जिन्होने झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने या झूठे विवरण देने का कारण परीक्षा फार्म अस्वीकृत किया गया है अथवा जिन्हें मण्डल द्वारा अपात्र पाया गया है।	
18	स्थानांतरण प्रकरण	किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है तो छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब छात्र द्वारा निर्धारित तिथि तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की अनुमति संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा 31.12.2014 तक अनुमति हेतु मण्डल मुख्यालय में सचिव को प्रेषित की जाए। परिवर्तन की सूचना प्राचार्य तत्काल सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल को देगें।	
19	परीक्षा आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण	नवीन प्रवेशित छात्रों की जांच उपरांत ही पात्रता होने पर प्रवेश दिया जाए। मण्डल की परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के डाक्यूमेन्टस की जांच भी प्राचार्य स्तर पर की जाये, तथा छात्र से विवरण संबंधी पुष्टि करा ली जाये। इस कार्य के लिये मानदेय नहीं दिया जावेगा। पात्र छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो यह सुनिश्चित करना संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा। समस्त छात्रों के ऑनलाईन आवेदन की प्रति के साथ पात्रता संबंधी डाक्यूमेन्टस संलग्न कर जिले की समन्वयक संस्था पर निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है।	
20	संभागीय अधिकारी द्वारा पात्रता का परीक्षण	ऑन लाईन से प्राप्त आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ संलग्न पात्रता संबंधी दस्तावेज जिले की समन्वयक संस्था से संभागीय अधिकारी कार्यालय से प्रतिनिधि भेजकर प्राप्त करेगें तथा पात्रता का परीक्षण करेगें। ऑनलाईन आवेदन की प्रति, नामिनल रोल, शुल्क विवरण पत्रक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र इत्यादि अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगें, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आडिट पूर्व वर्षो के भॉति संभागीय कार्यालय स्तर पर संबंधित विभाग से कराकर आडिट रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत करेगें।	

(पुष्पलता सिंह)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

3SK\samanbay\exam\Exam 1415\Praves 2014-15.doc

P.T.O

पृष्ठांकन क्रमांक/66 /परीक्षा समन्वय/2014 भोपाल, दिनांक: 10 /06/2014

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव-अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
2 निज सहायक-प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनु. जाति, कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
3. कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
4 आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
5 आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6 आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7 संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
8 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10 संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
11 सहायक आयुक्त,समस्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
12 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
13 माननीय् मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
14 आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
15 पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
16 नि.स.- सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
17 प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाऐं मध्यप्रदेश।
18 लोक सूचना अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल
19 संचालक एम पी ऑन लाईन मध्यप्रदेश।
20 विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ 63 /परीक्षा समन्वय /2014

भोपाल, दिनांक 10/06/2014

// आदेश //

कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2014 में लिये गये निर्णयानुसार **शिक्षण सत्र 2014–15** से मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में संभावित व्यय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल के समस्त परीक्षाओं के लिये विभिन्न शीर्ष/कार्य हेतु परीक्षा शुल्कों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:–

क्र.	विवरण	अनुमोदित दरें
1	परीक्षा शुल्क (नियमित/स्वाध्यायी संपूर्ण विषय)	500/–
2	नामांकन शुल्क कक्षा (9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एवं डी.एड. प्रथम वर्ष परीक्षा हेतु)	150/–
3	संपूर्ण विषयों के साथ प्रति अतिरिक्त विषय हेतु	200/–
4	केवल एक अतिरिक्त विषय हेतु	200/–
5	पूरक परीक्षा हेतु प्रति विषय	250/–
6	हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक/डी.एड. परीक्षा द्वितीय अवसर	250/–
7	ग्राहयता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु)	300/–
8	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क	200/–
9	विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन(प्रति विषय) शुल्क	200/–
10	स्वाध्यायी/डी.एड. पत्राचार के आवेदन अग्रेषण एवं पात्रता की जांच करने हेतु को देय शुल्क	25/–
11	डिप्लोमा इन एज्यूकेशन (नियमित/पत्राचार संपूर्ण विषय) परीक्षा शुल्क	1850/–
12	डिप्लोमा इन एज्यूकेशन अनुमति शुल्क (प्रथम वर्ष पत्राचार हेतु)	200/–
13	प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण–पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष के अभिलेख)	200/–
14	प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण–पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख)	300/–
15	सत्यापन– अंकसूची/प्रमाण–पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष के)	200/–
16	सत्यापन– अंकसूची/प्रमाण–पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने)	300/–
17	अंकसूची/प्रमाण–पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (परीक्षा घोषणा से 03 माह तक)	निःशुल्क
18	अंकसूची/प्रमाण–पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (03 माह से 01 वर्ष तक)प्रति अभिलेख	200/–
19	अंकसूची/प्रमाण–पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (01 वर्ष से पुराने)प्रति अभिलेख	200/–
20	माईग्रेशन प्रमाण–पत्र शुल्क	100/–

यह आदेश शिक्षण सत्र 2014–15 से आगामी आदेश होने तक लागू रहेगें।

(पुष्पलता सिंह)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/ 64 /परीक्षा समन्वय/2014

भोपाल, दिनांक 10 /06 /2014

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव–अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
2. निज सहायक–प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनु. जाति, कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
3. कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. अवर सचिव/अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10. संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
11. सहायक आयुक्त,समस्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
13. माननीय् मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
14. आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
15. पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.मंडल भोपाल।
16. नि.स.– सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
17. प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाऐं मध्यप्रदेश।
18. लोक सूचना अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश भोपाल।
19. संचालक एम पी ऑन लाईन मध्यप्रदेश।
20. विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

E:\BSK\samanbay\exam\Exam 1415\Praves 2014-15.doc